पत्रांकः– 45/सी०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।

पटना, दिनांकः– 09/04/2025

विषयः– **प्रमंडल मुख्यालय में अवस्थित LARR की समस्याओं के समाधान के संबंध में।**

प्रसंग– **दिनांक 09.04.25 को मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई विमर्शात्मक बैठक।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दिनांक 09.04.2025 को मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा सभी भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारण के पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रंडलीय आयुक्तों के साथ विभिन्न भू–अर्जन परियोजनाओं में भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारण में भेजे गये मामले एवं प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा मध्यस्थ की हैसियत से किये जा रहे निष्पादन के संबंध में विचार–विमर्श किया गया तथा उनसे सुझाव प्राप्त कियें गये।

उक्त विमर्शात्मक बैठक में उठाये गये सभी बिन्दुओं के संबंध में मुख्यालय के स्तर से अलग से कार्रवाई की जा रही है, परन्तु भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारण के कार्यालयी व्यवस्था के संबंध में कतिपय बिन्दुओं पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके लिए इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

कृपया निम्नांकित बिन्दुओं पर आपसे तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है :–

1. लगभग सभी पीठासीन पदाधिकारियों ने यह बताया कि उनके पास आशुलिपिक नहीं हैं। हाल ही में पर्याप्त संख्या में आशुलिपिकों की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की गयी है एवं जिले/आयुक्त कार्यालयों में आशुलिपिक उपलब्ध होंगे। अनुरोध है कि तत्काल आयुक्त कार्यालय अथवा मुख्यालय के जिला से एवं यदि

वहाँ संभव नहीं हो तो प्रमण्डल के किसी भी जिले से एक आशुलिपिक एवं एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति दो दिनों के अंदर संबंधित भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारण के पीठासीन पदाधिकारी के साथ करने की कृपा की जाय।

2. सारण के पीठासीन पदाधिकारी महोदय ने सूचित किया कि उनके कार्यालय/न्यायालय के लिए अभी तक कोई सरकारी भवन की व्यवस्था नहीं है। अतः आयुक्त, सारण प्रमंडल से अनुरोध किया जाता है कि वे तत्काल पीठासीन पदाधिकारी से वार्त्ता कर उनके कार्यालय/न्यायालय के लिए एक उचित सरकारी भवन की व्यवस्था प्रमण्डल मुख्यालय में कर दें।

3. पीठासीन पदाधिकारियों के द्वारा यह बताया गया कि भू–अर्जन कार्यालयों से जिलों के माध्यम से जो मामले भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारण में प्राप्त होते हैं उनमें कतिपय त्रुटियाँ रहती हैं जिसके लिए संबंधित जिला पदाधिकारियों एवं भू–अर्जन पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। अतः सभी प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध है कि दस दिनों के अन्दर प्रमण्डल स्तर पर अपने–अपने प्रमण्डल के सभी जिला पदाधिकारियों एवं जिल भू–अर्जन पदाधिकारी/अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को बुलाकर बैठक आयोजित कर लें एवं उक्त बैठक में संबंधित भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारण के पीठासीन पदाधिकारी को भी आमंत्रित करें ताकि पीठासीन पदाधिकारीगण अपने स्तर से रेफरेंस किये जा रहे मामलों में परिलक्षित हो रही त्रुटियों के संबंध में उन्हें बता सकें। इसी बैठक में आयुक्त के न्यायालय में मध्यस्थता के जो मामले प्रतिवेदित होते हैं, उनके संबंध में परिलक्षित हो रही त्रुटियों की ओर भी जिला पदाधिकारीगण एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारीगण/अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारीगण का ध्यान आकृष्ट किया जाय।

4. कतिपय पीठासीन पदाधिकारियों के द्वारा यह बताया गया कि कुछ मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वादीगण भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारण के पीठासीन पदाधिकारी के पास अपना आवेदन समर्पित किये हैं, परन्तु जिले से कई स्मार के बावजूद औपचारिक रेफरेंस अभिलेख के साथ प्राप्त नहीं हुये हैं। विशेष तौर पर इस बिन्दु की ओर भागलपुर के पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा ध्यान आकृष्ट किया गया। अतः इस संबंध में भी अपने स्तर से अपने प्रमण्डल के पीठासीन पदाधिकारियों से वार्त्ता कर ऐसे मामलों के शीघ्र निदान की व्यवस्था करेंगे।

5. भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारण के पीठासीन पदाधिकारियों के समक्ष सरकार का पक्ष रखने हेतु आवश्यक सरकारी अधिवक्ता/अपर सरकारी अधिवक्ता की शीघ्र नियुक्ति हेतु भी संबंधित जिला पदाधिकारियों के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर किये गये अनुरोध के अनुसार तात्कालिक कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन,

9/4/2025

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– 45/सी0 दिनांक– 09/04/2025

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/2025

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 45/सी0 दिनांक– 09/04/2025

प्रतिलिपि :– सभी पीठासीन पदाधिकारी, भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/2025

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 45/सी0 दिनांक– 09/04/2025

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

9/4/2025

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव